"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

कार्यालय नियंत्रक नाप-तौल
छत्तीसगढ़ रायपुर
आवक/जावक क्र. 77
दिनांक 22-7-15

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 जनवरी 2011—पौष 15, शक 1932

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29.—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार भारत सरकार से परामर्श के उपरान्त एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 कहलाएंगे।
   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) ये नियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इन नियमों के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषाएँ.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009;
   (ख) "निर्देश मानक प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला, जहां निर्देश मानक, द्वितीयक मानक और कार्यकारी मानक अनुरक्षित किये जाते हैं;

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(घ) शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः नियत है।

3. **निर्देश मानक.**– निर्देश मानक ऐसे स्थान में, ऐसी रीति एवं ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा कि विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 में यथा विहित किया जाए।

4. **द्वितीयक मानक.**– (1) प्रत्येक द्वितीयक मानक किसी निर्देश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति और ऐसे नियतकालिन अन्तराल में सत्यापित किये जाएंगे, जैसा कि नियम में विहित किया जाए तथा ऐसे सत्यापन को, अधिनियम के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर, निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा मुद्रांकित किया जाएगा या सत्यापन प्रमाण पत्र उस प्रयोगशाला द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) द्वितीयक मानक ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे, जैसा कि नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाए।

5. **कार्यकारी मानक.**– (1) प्रत्येक कार्यकारी मानक या तो किसी निर्देश मानक प्रयोगशाला या राज्य द्वारा पोषित किसी द्वितीयक मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति और ऐसे नियतकालिन अन्रालों में सत्यापित होंगे, जैसा कि नियम में विहित किया जाए, तथा ऐसे सत्यापन को अधिनियम के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर मुद्रांकित किया जाएगा या सत्यापन प्रमाण पत्र उस प्रयोगशाला द्वारा, जैसी स्थिति हो जारी किया जायेगा।

(2) कार्यकारी मानक विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

6. **द्वितीयक मानक तुलाएँ.**– (1) द्वितीयक मानक तुलाओं का एक सेट ऐसी प्रत्येक जगह पर जहां द्वितीयक मानक बाट रखे गए हैं अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, प्रकार और विनिर्देश ऐसे होंगे, जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित किए जाएं।

(3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला बारह माह की कालावधि में कम से कम एक बार सत्यापित की जाएगी तथा समायोजित की जाएगी, यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम में विहित सुग्राहिता की सीमाओं और अन्य मापकीय गुणवत्ता के अंतर्गत, इसमें निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी जो नियंत्रक द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किया जाए, संशोधन किया जाएगा।

7. **कार्यकारी मानक तुलायें.**– (1) कार्यकारी मानक तुलाओं का एक सेट ऐसी प्रत्येक जगह पर जहां कार्यकारी मानक बाट रखे गए हैं, अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, प्रकार और विनिर्देश ऐसे होंगे, जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित किया जाए।

(3) प्रत्येक कार्यकारी मानक तुलायें बारह माह में कम से कम एक बार सत्यापित की जाएंगी, और यदि आवश्यक हुआ तो उसे विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय गुणों के भीतर निर्देश मानक प्रयोगशाला अथवा अन्य स्थान पर जहां राज्य सरकार द्वारा द्वितीय मानक प्रयोगशाला बनाए रखे जाते हैं, के द्वारा समायोजित किया जायेगा।

8. **बाट एवं माप के भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्योरा.**– प्रत्येक बाट या माप जिनका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग किया जाता है या उपयोग करना आशयित है, से सम्बद्ध भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्योरे, सामग्री, सम्पादन (कार्यशीलता) सहनता एवं ऐसे अन्य ब्योरे अधिनियम अथवा विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

9. **बुलियन बाटों, कैरेट बाटों इत्यादि का उपयोग.**– (1) सामान्य नियम, 2010 में यथा विनिर्दिष्ट बुलियन बाट से भिन्न किसी बाट का बुलियन में जिसके अन्तर्गत बहुमूल्य धातु, मोती आभूषण या स्वर्ण या रजत की

बनी अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित है किसी संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) कैरेट बाट से भिन्न किसी बाट का बहुमूल्य पत्थरों के किसी संव्यवहार में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) केवल वर्ग क या वर्ग ख श्रेणी की बीम स्केल अथवा उच्चतर शुद्धता वर्ग (वर्ग दो) अथवा विशेष शुद्धता वर्ग (वर्ग एक) के गैर स्वचालित तौल यंत्र का उपयोग उप–नियम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार में नहीं किया जाएगा।

10. **कतिपय मामलों में केवल बाट या केवल माप या केवल संख्याओं का उपयोग.–** अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामलों को छोड़कर, प्रत्येक संव्यवहार में मात्रा, सौदा या संविदा या संरक्षण के लिए इकाईयों के पद की घोषणा –

(क) यदि वस्तु ठोस, अर्द्ध– ठोस, चिपचिपा या ठोस एवं द्रव्य का मिश्रण है तो बाट वजन की इकाई के रूप में होगा;

(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो लम्बाई की इकाई के रूप में होगा;

(ग) यदि वस्तु का क्षेत्रीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो क्षेत्र की इकाई के रूप में होगी;

(घ) यदि वस्तु द्रव्य है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है, तो आयत की इकाई के रूप में होगा; या

(ड.) यदि वस्तु का विक्रय संख्या के रूप में किया जाता है, तो संख्या की इकाई के रूप में होगा।

11. **बाट और माप विनिर्माताओं, मिस्त्रियों (सुधारकों) और व्यवहारियों की अनुज्ञप्ति.–**(1) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी अनुज्ञप्ति देने के लिये आवेदन नियंत्रक विधिक माप विज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुसूची दो–क में उपवर्णित समुचित प्ररूप में करेगा।

(2) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यवहारी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व नियंत्रक विधि माप विज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये अनुसूची दो–ख में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(3) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यवहारी को जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति अनुसूची–तीन में उपवर्णित समुचित प्ररूप में होगी।

(4) किसी विनिर्माता, मिस्त्री या व्यवहारी को जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति कम से कम एक कैलेण्डर वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये विधिमान्य होगी तथा अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष शुल्क का भुगतान करने पर नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, दो वर्षों की कालावधि के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी।

(5) अनुज्ञप्ति के परिवर्तन के लिए अथवा अनुज्ञप्ति की छाया प्रति जारी करने के लिये संदेय शुल्क अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति शुल्क का आधा होगा।

परंतु अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क पूर्ण दरों पर आवेदक द्वारा संदेय होगा, यदि वह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन करने के लिए नियंत्रक द्वारा अनुज्ञात हो।

(6) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माताओं, मिस्त्रियों तथा व्यवहारियों का अनुसूची–पॉच में दिये गये प्ररूप में पंजी संधारित करेंगे।

(7) अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक विनिर्माता/मिस्त्री/व्यवहारी ऐसी कार्यशाला/उपकरण/औजार/पंजी इत्यादि जैसी स्थिति हो, अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार संधारित करेंगे।

(8) अधिनियम एवं इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मिस्त्री राज्य शासन के पास अनुसूची–छः में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए सुरक्षां निधि संदेय करेगा।

(9) इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति परिसर के ऐसे सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी व्यवसाय करता हो।

(10) इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति न तो विक्रय योग्य होगी, न ही हस्तांतरणीय होगी।

12. **प्रदत्त अनुज्ञप्ति का निलम्बन तथा निरसन.**— (1) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अंन्य अधिकारी के पास यदि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत जारी, नवीनीकृत या सतत रूप से प्रभावशील अनुज्ञप्ति के किसी कथन में या उसके संबंध में, अनुज्ञप्ति जारी करने, नवीनीकरण करने या सतत रूप से बनाए रखने के लिए किये गए किसी आवेदन में कोई विशेष बिन्दु भ्रामक या असत्य है या अधिनियम के उपबन्धों या किसी नियम या उसके अन्तर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक के विरूद्ध किसी जांच के पूर्ण होने तक ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा, लंबित रख सकेगा।

परंतु यह कि ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित नहीं की जा सकेगी जब तक की अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

परंतु यह और कि जहाँ अनुज्ञप्ति के निलंबन की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर इस उप–धारा में निर्दिष्ट जांच पूर्ण नहीं हो जाती, ऐसा निलंबन उक्त अवधि की समाप्ति के बाद स्वमेव समाप्त माना जाएगा।

(2) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का ऐसी जांच के करने के उपरांत जैसा कि वह उचित समझे, यदि यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्तिधारी ने उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रवृत्ति का असत्य एवं भ्रामक कथन किया है अथवा उस उप–धारा में निर्दिष्ट किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति को निरस्त करेगा :

परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति तब तक निरस्त नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई हो, वह ऐसे निलंबन के तुरन्त पश्चात् ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपना कार्य बंद कर देगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में पुनः व्यापार नहीं करेगा, जब तक की ऐसा निलंबन आदेश समाप्त न हो जाए या समाप्त न किया जा चुका हो।

(4) प्रत्येक ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा निरस्त की जा चुकी हो, ऐसे निलंबन या निरसन के पश्चात जैसी भी स्थिति हो, उस प्राधिकारी को ऐसी अनुज्ञप्ति समर्पित करेगा, जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति जारी की गई हो।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निरसित हो चुकी है, ऐसे निरसन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा ऐसी आगामी अवधि के भीतर जो कि ऐसी तारीख से तीन माह से अधिक न हो, नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को पर्याप्त कारण बताये जाने पर ऐसे निरसन की तारीख पर उसके आधिपत्य, कब्जे अथवा नियंत्रण में रखे गये बाट या माप के व्ययन की मंजूरी दे सकता है तथा ऐसा करने में विफल रहने पर नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इसे जप्त कर व्ययन कर सकता है और उसके आगम को ऐसी रीति से वितरित कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।

13. **विनिर्माता इत्यादि के द्वारा अभिलेख का रखा जाना.**— प्रत्येक विनिर्माता अथवा सुधारक अथवा व्यवहारी जिसे अधिनियम तथा इन नियमों के अन्तर्गत बाट या माप की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अनुसूची–सात में दिए गए समुचित प्ररूप में अभिलेख और पंजी संधारित करेगा और वह ऐसे नियतकालिक प्रतिवेदन/विवरणी भी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

14. **बाटो या मापों के सत्यापन के लिये नियतकालिक अन्तराल.**— (1) बाटों या मापों के सत्यापन के लिए नियतकालिक अन्तराल विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

15. **बाटों अथवा मापों का सत्यापन और निरीक्षण.**– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी बाट या माप का किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिये उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान में जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसका सत्यापन अपेक्षित है।

परंतु जहॉं कोई बाट या माप ऐसे हैं कि उन्हें उनके स्थान से नहीं हटाया जा सकता या नहीं हटाया जाना चाहिये, वहां व्यक्ति जो ऐसे बाट या माप का उपयोग कर रहा है उस तारीख से, जिससे सत्यापन अपेक्षित है, कम से कम 30 दिन पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट देगा।

(2) जहॉं कोई बाट या माप ऐसे हैं, कि उन्हें उनके स्थान से नहीं हटाया जा सकता या नहीं हटाया जाना चाहिए, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे बाट या माप के अवस्थित स्थान पर उनके सत्यापन के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपयोगकर्ता ऐसी सुविधाऍं उपलब्ध करायेगा, जैसा कि नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) प्रत्येक बाट या माप जो सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया हो, वह स्वयं में पूर्ण होगा।

(5) प्रत्येक बाट या माप साफ सुथरी हालत में सत्यापित किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी, स्वामी या उपयोगकर्ता को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा।

(6) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियम 14 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान यथासंभव अंतराल में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर में किसी बाट या माप का, जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग में लाया जाता हो या उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित या संभव हो, जाकर निरीक्षण व जांच कर सकेगा।

(7) विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप पर मुद्रांकन का लोप करेगा, यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाए कि:–

(क) ऐसे बाट या माप, जिनका पुनः–सत्यापन शेष है, ऐसे पुनः सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) ऐसे बाट या माप जो अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है।

परंतु जहॉं कि विधिक माप विज्ञान अधिकारी की यह राय है कि ऐसे बाट या माप में खराबी या त्रुटि इस प्रकार की है कि मुद्रा का अविलम्ब विलोपन (उत्खनन) किया जाना आवश्यक नहीं है तो वह ऐसे बाट, माप में पाई गई खराबी या त्रुटि की सूचना उपयोगकर्ता को देगा और उपयोगकर्ता को ऐसे समय के भीतर जो 8 दिन से अधिक का नहीं होगा खराबी या त्रुटि को दूर करने के लिये कहेगा तथा–

(एक) यदि उपयोगकर्ता उस अवधि के अंदर खराबी या त्रुटि को दूर करने में असफल रहता है, तो मुद्रा का विलोपन (उत्खनन) करेगा या

(दो) यदि खराबी या त्रुटि को इस प्रकार से दूर किया जाता है कि जिससे बाट या माप अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप बन जाए, तो ऐसे बाट या माप का सत्यापन व मुद्रांकन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:– किसी बाट या माप से मुद्रा का विलोपन (उत्खनन) विधिक माप विज्ञान अधिकारी की इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बाट या माप को अधिग्रहण करने की शक्ति को समाप्त या कम नहीं करेगा।

16. **बाटों या मापों का मुद्रांकन.**– (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी का, यदि परीक्षण तथा सत्यापन के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप हैं, तो प्रत्येक बाट या माप को नियंत्रक द्वारा जारी की गई एक डिजाइन की ऐसी मुद्रा से मुद्रांकित करेगा, जिसे प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जिसके द्वारा उसे मुद्रांकित किया गया है, आबंटित संख्या निर्दिष्ट की गई हो।

परंतु यदि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर मुद्रांकन करना वांछनीय या साध्य नहीं हो, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसा कि नियंत्रक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर मुद्रांकन वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी, सिवाय इसके जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो, चिन्हांकित करेगा।

स्पष्टीकरणः– कोई वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जाएगा। जिसमें प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह की होगी जिसे क से चिन्हांकित किया जाएगा; दूसरी तिमाही अप्रैल, मई तथा जून माह की होगी जिसे ख से चिन्हांकित किया जाएगा; तीसरी तिमाही जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर माह की होगी जिसे ग से चिन्हांकित किया जायेगा तथा चौथी तिमाही अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर माह की होगी जिसे घ से चिन्हांकित किया जाएगा।

(3) सत्यापन व मुद्रांकन पूरा होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी अनुसूची–आठ में दिये गये प्ररूप में सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) जहां कोई सत्यापन प्रमाण पत्र गुम या नष्ट हो जाता है, वहां सत्यापन प्रमाण पत्र धारक सत्यापन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को अविलंब आवेदन करेगा, जिसने प्रमाण पत्र जारी किया था। प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये ऐसा प्रत्येक आवेदन दस रूपए के शुल्क सहित होगा।

(5) उप–नियम (4) के अधीन आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, विधिक माप विज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा जो 'द्वितीय प्रति' से चिन्हांकित होगा।

17. **सत्यापन के लिये शुल्क.–** (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बाट या माप के सत्यापन और मुद्रांकन के लिये देय शुल्क अनुसूची–नौ में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

(2) यदि, बाट या माप के उपयोगकर्ता के अनुरोध पर, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय से भिन्न किसी परिसर में सत्यापन किया जाता है तो अनुसूची–नौ में निर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाएगा और बाट या माप उपयोगकर्ता परिसर में निरीक्षण के लिये विधिक मांप विज्ञान अधिकारी द्वारा किये गये व्यय का संदाय भी करेगा जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानक और उपस्कर के परिवहन और उसकी उठाई–धराई का खर्च भी सम्मिलित होगा, जो न्यूनतम रूपये 100.00 के अध्यधीन होगा।

परंतु यथा स्थान बाट तथा माप के सत्यापन तथा मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

(एक) पेट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य तरल पदार्थों के लिए टैंक यान, पानी के अतिरिक्त अन्य तरल पदार्थों के लिए मीटर (डिस्पेंसर पम्प, एल.पी.जी., मिल्क डिस्पेंसर), सी.एन.जी. डिस्पेंसर, गैर स्वचालित तौल उपकरण. जैसे वेब्रिज, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेवेटिक फिलिंग उपकरण, स्वचालित रेल वेब्रिज, डिसकन्टीनीव आटोमेटिक टोटलाइजर वेइंग मशीन एवं अन्य ऐसे बाट या माप जो उसके स्थान से हटाये नहीं जा सकते तथा नही हटाये जाने चाहिए।

(दो) ऐसे बाट एवं माप के निर्माता या व्यवहारी के परिसरों में बाट या माप।

(3) यदि कोई बाट या माप मुद्रांकन की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन हेतु विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुसूची–नौ में निर्दिष्ट दरों की आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क, वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिये देय होगा।

(4) निर्माता या व्यवहारी के स्टाक में से किसी बाट या माप के उस तारीख को, जिसमें उस पर अंतिम बार मुदांकन किया गया था, नियम 14 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः मुद्रांकन के लिये पूरा शुल्क देय होगा, परंतु यह तब जब मूल मुद्रांकन मिटा न दिया गया हो।

(5) किसी बाट या माप के सत्यापन/निरीक्षण पर गलत पाये जाने पर उसे समायोजन के लिये, बाट या माप में पाई गई त्रुटियों की, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में जानकारी देते हुए और उन त्रुटियों को

अधिक से अधिक 7 दिन की अवधि के भीतर दूर करने के लिए अपेक्षा करते हुए संबंधित व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया जाए, तो ऐसे बाट व माप का अनुसूची–नौ में विनिर्दिष्ट शुल्क का संदाय कर दिये जाने पर सत्यापन किया जाएगा और यदि सही पाया जाता है तो मुद्रांकन किया जाएगा।

18. **फीस का संग्रहण और उसे खजाने में जमा किया जाना.–** (1) सत्यापन या पुनः–सत्यापन का कार्य प्रारंभ करने के पहले, विधिक माप विज्ञान अधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके द्वारा संदेय शुल्क की सूचना देगा और उसे नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत रीति से प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में उसकी रसीद देगा, ऐसे रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।

परंतु केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन संदेय शुल्क ऐसी रीति से वसूल किया जाएगा, जैसा कि नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाये।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक पंजी रखेगा, जो दिन–प्रतिदिन भरी जाएगी और उसमें उस दिन के दौरान संग्रहित किए गए शुल्क और अन्य प्रभारों की राशि दर्शित की जाएगी।

(3) सप्ताह के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये सभी शुल्क सरकारी खजाने में, समुचित "लेखा शीर्ष" के अधीन ऐसी तारीख या दिनों को जो नियंत्रक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, संदत्त किये जाएंगे और उसकी रसीद प्राप्त की जाएगी और इस परिणाम की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी।

19. **अधिग्रहित बाटों, मापों इत्यादि का निराकरण.–** (1) कोई भी असत्यापित बाट या माप, उस व्यक्ति को, जिससे ऐसा बाट या माप अधिग्रहित (जप्त) किया गया हो, वापस कर दिया जाएगा यदि वह व्यक्ति मुद्रांकन की वैधता के समाप्त होने के पश्चात पुनः सत्यापन के लिए विहित शुल्क जिसमें अतिरिक्त शुल्क भी सम्मिलित है, वापसी के 15 दिनों के भीतर जमा कर देता है तो वह यथावत सत्यापन व मुद्रांकन प्राप्त कर लेता है।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अधिग्रहित तथा निरूद्ध कोई बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु या माल जो न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय है, विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसे कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उसका निपटारा किया जाएगा।

परंतु न्यायालय के आदेश के अभाव में, बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु या माल का उस प्रकार निपटारा किया जाएगा, जैसा कि नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे और उसकी सामग्री का विक्रय कर आगम सरकार को जमा किया जाएगा।

(3) यदि, अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिग्रहित कोई वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी अपने पास या अपराध स्थल के निकट उपलब्ध सत्यापित तौल या माप उपकरण पर वस्तु की तौल या माप करवाएगा और वस्तु की वास्तविक तौल या माप को इस प्रयोजन को लिये नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रविष्ट करेगा, और व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति जिसने अपराध किया है, के हस्ताक्षर लेगा। आक्षेपित वस्तु, यथा स्थिति व्यापारी या क्रेता को वापस कर दी जाएगी।

परंतु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इंकार करने के समय उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेगा। वस्तु, व्यापारी को वापस करने की स्थिति में वह इस आशय से उसका उपक्रमण करेगा कि वह बिना उसकी त्रुटि दूर किये त्रुटिपूर्ण वस्तु का विक्रय नहीं करेगा।

(4) जहाँ अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन अभिग्रहित वस्तु किसी पैकेज में बंद हो और पैकेज नकली है या अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है

और ऐसे पैकेज में वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी, जहां तक हो सके ऐसे पैकेज में वस्तु का वस्तु का व्ययन उप–नियम (3) के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा।

परंतु यह निर्णय लेने होने हेतु नियंत्रक अंतिम प्राधिकारी होगा, कि अभिग्रहित और निरूद्ध वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है।

(5) जहां अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन अभिग्रहित वस्तु शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील नहीं है, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को (जिसने अपराध किया है) ऐसे अधिग्रहण की सूचना देने के पश्चात् पैकेज को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन के लिये रख सकेगा।

(6) उप–नियम (4) एवं (5) के अधीन विनिर्दिष्ट वस्तु, जो इसके अधिग्रहण के 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात, न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय नहीं होगी, का ऐसा निपटारा किया जाएगा, जैसा कि नियंत्रक अपने विशेष आदेश के द्वारा निर्देशित करे।

20. **सम्यक रूप से मुद्रांकित बाटो या मापों की वैधता.–** (1) इस नियम के तहत सम्यक रूप से सत्यापित और मुद्रांकित किये गये या माने गये, बाट या माप राज्य के भीतर प्रत्येक उस जगह पर जहां उन्हें मुद्रांकित किया गया है, अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप माने जाएंगे जब तक निरीक्षण या सत्यापन करने पर यह नहीं पाया जाता कि ऐसे बाट या माप अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं रह गए हैं।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्यक रूप से सत्यापित व मुद्रांकित किये गये, या माने गये बाट या माप को केवल इस कारण से पुनः मुद्रांकित करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि इसका उपयोग राज्य के भीतर उस स्थान को छोड़कर जहां से यह मूल रूप में सत्यापित व मुद्रांकित किया गया था, अन्य स्थान पर किया जा रहा है।

परंतु जहॉ एक स्थान पर स्थापित सत्यापित बाट या माप को खोला जाता है तथा उसे भिन्न स्थान पर पुनःस्थापित किया जाता है, तो ऐसे बाट या माप को उपयोग में तब तक लाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप के नियतकालिक पुनः सत्यापन का समय अभी नहीं आया है, उसे सम्यक रूप से पुनः सत्यापित व मुद्रांकित न कर दिया गया हो।

(3) जहॉ किसी अनुज्ञप्तिधारी सुधारक द्वारा या उसके स्वामी तथा उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, सत्यापित बाट या माप की मरम्मत (सुधार कार्य) की जाए, वहॉ ऐसे बाट या माप का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे सम्यक रूप से पुनः सत्यापित या मुद्रांकित न कर दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप के नियतकालिक पुनः सत्यापन का समय अभी नहीं आया है।

21. **विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अर्हता.–** विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अर्हता विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में परिभाषित अनुसार होगी।

22. **विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकारी/द्वितीयक मानक, उपस्कर इत्यादि दिए जाने हेतु उपबन्ध करना.–** (1) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकारी/द्वितीयक मानक बाट, कार्यकारी/द्वितीयक निर्देश तुला और ऐसे अन्य उपस्कर, जिसके अन्तर्गत तौल व माप के ऐसे यन्त्र भी सम्मिलित हैं, जो समय–समय पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए जाएं, दिए जाएंगे।

(2) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ऐसी डाइयों, पंच, पेपर सील/स्टीकर और ऐसे अन्य उपस्कर दिए जाएंगे जो सत्यापन मुद्रांकन को चस्पा करने के लिए आवश्यक हों जिनकी डिजाइन और संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को मुद्रांकन को मिटाने के लिए नीचे दर्शित किए गए अनुसार 8 कोण वाले तारे के उपयुक्त आकार वाला पंच दिया जाएगा।

23. **बाटों, मापों इत्यादि के उपयोग से संबंधित उपबंध.**– (1) अपने परिसर में किसी संव्यवहार में डण्डी वाली तराजू (बीम स्केल) का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस तराजू को स्टैण्ड पर या हूक द्वारा चैन पर लटकाएगा।

परंतु यह उप–नियम फेरी लगाकर बेचने वालों पर लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक बाट या माप साफ सुथरी हालत में और रोशनी की समुचित व्यवस्था में उपयोग किया जाएगा।

(3) किसी ऐसे बाट या माप को, जो यथावत सत्यापित व मुद्रांकित किये गये हैं, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना उसके मूल स्थान से खोला (उखाड़ा) और हटाया नहीं जाएगा।

(4) तौल यंत्र की यथार्थता का उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग के बराबर सम्यक रूप से सत्यापित तथा स्टाम्पित बाटो को प्रत्येक तौल उपकरणों के स्थान में रखेगा तथा उपभोक्ता भी ऐसे तौल उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकेंगे।

परंतु नियंत्रक उस व्यापार परिसर में, जहॉ तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक हैं, सत्यापित और मुद्रांकित बाट रखे जाने के लिए उनकी कुल संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) पेट्रोल/डीजल पंप की समुचित प्रदायगी को सुनिश्चित करने हेतु पंप का फुटकर डीलर 5 लिटर/10 लिटर का सत्यापित धारिता मापक अपने परिसर में रखेगा और प्रतिदिन इसकी सही प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु पम्प के आउटपुट की जांच करेगा। कम प्रदायगी की स्थिति में, डीलर तुरंत पंप के माध्यम से उसकी प्रदायगी बंद कर देगा और पम्प के पुनः अंशाकन हेतु संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को सूचित करेगा।

24. **सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शित किया जाना.**– वह व्यक्ति जिसे सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया है, वह उसे ऐसे उस परिसर में, जहॉ ऐसे बाट, माप या तौल यंत्र अथवा माप उपकरण जिनके संबंध में प्रमाण पत्र, उपयोग में लाए जा रहे हैं, किसी सहज दृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा।

परंतु फेरी लगाकर बेचने वाले की दशा में, प्रमाण पत्र व्यक्ति के पास रहेगा।

परंतु यह और कि टैंकर यान की दशा में, सत्यापन प्रमाण पत्र यान में रहेगा।

25. **नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति.**– जो कोई इन नियमों के किसी ऐसे उपबंध का, जिसके उल्लंघन के लिए किसी दंड का अधिनियम में पृथक से कोई उपबंध नहीं दिया गया है, उल्लंघन करता है वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रूपये 5000.00 तक हो सकेगा। जब कभी नियम अधिनियम के उपबन्धों के विरोध में हो, अधिनियम, नियमों पर प्रभावी होगा।

26. **अपील का प्ररूप.**– (1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रत्येक अपील अनुसूची–दस में दिए गए प्ररूप में की जाएगी तथा जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उसकी एक प्रति साथ में संलग्न होगी।

(2) राज्य शासन को अपील हेतु आवेदन 500 रूपये के शुल्क सहित तथा नियंत्रक को अपील हेतु 200.00 रूपये के शुल्क सहित या तो नगद या उक्त मूल्य के लिए न्यायालयीन शुल्क स्टैम्प लगाकर, जैसी स्थिति हो, किया जाएगा।

27. **अपराधों के राजीनामे हेतु शुल्क.**– (1) अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के राजीनामे के लिए शुल्क अनुसूची–ग्यारह में विहित अनुसार होगा।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, जिसने अपराध पंजीबद्ध किया है, उस अपराध में राजीनामा नहीं करेगा।

परंतु नियंत्रक कुछ मामलों में उसके द्वारा पंजीबद्ध अपराध के राजीनामे के लिए किसी विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप–सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 10 देखिये)

नियम 10 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर

1. बाट, माप या संख्या द्वारा वस्तुओं के सम्मुख दर्शाए अनुसार निम्नलिखित वस्तुएं बेची जा सकेंगी।

सारणी

स.क्र.	वस्तु	जहां पद बाट, माप या संख्या या उनमें से दो या अधिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	एरोसोल उत्पाद	बाट
2.	द्रव्य के रूप में अम्ल	बाट या आयतन
3.	सम्पीड़ित या द्रवीकृत गैस (परंतु द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं)	बाट और समतुल्य आयतन उल्लेखित तापक्रम और दाब पर
4.	मक्खन (मूंगफली के मक्खन सहित) पनीर, दही, घी	बाट
5.	इलेक्ट्रिक केबल्स	लंबाई या बाट
6.	इलेक्ट्रिक वायर	लंबाई या बाट
7.	फेंसिंग तार	लंबाई या बाट
8.	सुगंध रहित केश तैल	बाट या आयतन
9	फल एवं सब्जियां	संख्या या बाट
10.	फर्नेस आइल	बाट या आयतन
11.	लाइनसीड एवं अन्य वेजिटेबल आइल	बाट या आयतन
12.	भारी अवशिष्ट ईंधन तैल	बाट
13.	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
14.	शहद, माल्ट सार, स्वर्ण सीरप शीरा	बाट
15.	आइसक्रीम एवं वैसे ही अन्य शीतल उत्पाद	बाट या आयतन
16.	द्रव रसायन	बाट या आयतन
17.	द्रव पेट्रोलियम रसायन	बाट
18.	कील, लकड़ी के पेंच	संख्या या बाट
19.	पेंट (गीला पेंट या सूखा पेंट सें भिन्न) वार्निस तथा वार्निस परत इनेमल्स	आयतन
20.	पापड़	संख्या तथा बाट
21.	गीला पेंट, सूखा पेंट	बाट
22.	रसगुल्ला, गुलाब जामुन एवं मिठाइयां	बाट
23.	तैयार वस्त्र	संख्या एवं आकार
24.	हर तरह की चटनी	बाट
25.	टायर एवं ट्यूब	संख्या
26.	धागा	बाट या धागे की लंबाई

अनुसूची–दो "क"

[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररुप–एल एम–1

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप के निर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररुप)

प्रति,

....

....

(1)	आवेदक द्वारा भरा जाए (2)	निरीक्षण अधिकारी की टीप (3)
1. संबंधित निर्माण का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है।	....	....
2. संबंधित का पूर्ण पता। यदि परिसर स्वयं का है/किराये का है/पट्टे पर लिया गया है/मंजूर अनुज्ञप्ति,दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित हो।	....	....
3. कार्यशाला/कारखाना की स्थापना का दिनांक।	....	....
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता/पते उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
5. कारखांना/दुकान/स्थापना/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का वर्तमान पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. वर्तमान में निर्माण गतिविधि की प्रकृति।	....	....
7. निर्माण हेतु प्रस्तावित बाट एवं माप का प्रकार, जैसे: 1. बाट 2. माप 3. तौल उपकरण 4. माप उपकरण, प्रत्येक मामले में विस्तार सहित।	....	....
8. नियमित व्यक्तियों/प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या 1. कुशल 2. अर्धकुशल 3. अकुशल 4. कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षित	....	....
9. दिनिर्मित किए जाने वाले बाट तथा माप में अंकित किये जाने के लिए आशयित मोनोग्राम या ट्रेडमार्क।		....

10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उप–साधन तथा बाटो, माप आदि जो विनिर्माण के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्यौरे। ....

11. स्थापन/कार्यशाला हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण चाहे स्वयं की स्वामित्व. की हो, लंबी अवधि की पट्टे इत्यादि की हो। ....

12. ढलवे लोहे एवं आवश्यक पार्ट्स इत्यादि की सुविधा तथा अन्य संसाधनों की सुविधाएं। ....

13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता। ....

14. शासन या वित्तीय संस्थानों से यदि ऋण लिया गया हो तो उसका विवरण। ....

15. बैंकर्स का नाम ,यदि कोई हो। ....

16. वैट/बिक्रीकर पंजीयन क्र./सी एस टी नं./ व्यावसायिक कर पंजीयन क्र./आई टी क्र.। ....

17. क्या आपने पूर्व में निर्माता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम हुआ ? ....

18. (क) निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित माल क्या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर या दोनों में विकय किया जाएगा ....

(ख) भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित मॉडल का विवरण; ....

(ग) आप अपने उत्पाद जिसके लिये अनुज्ञप्ति चाही गई है, के नमूने परीक्षण हेतु कब प्रस्तुत कर सकते हैं ? ....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन), नियम 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर शासन द्वारा अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क तत्काल जमा करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थानः

दिनांकः

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन का स.क्र.

निरीक्षण दिनांक

निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा

स्थान : ....

दिनांक : निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अंतिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत :

अनुज्ञप्ति क्र.:

विधिमान्यता की तारीख : ....

स्थान : हस्ताक्षर तथा पदनाम

दिनांक :

अनुसूची–दो क

[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररुप एल आर–1

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप सुधारक के रूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन)

प्रति,

....

....

1	आवेदक द्वारा भरा जाए 2	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी 3
1. संबंधित का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है।	....	....
2. कर्मशाला का पूर्ण पता।	....	....
3. (अ) परिसर स्वयं का है / किराये का है / पट्टे पर लिया गया है / दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित हो।	....	....
(ब) स्थापन का दिनांक।	....	....
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता / पति के नामों के साथ नाम और पता।	....	....
5. दुकान / स्थापन / वर्तमान नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. व्यावसायिक कर / आई टी टैक्स पंजीयन क्र. इत्यादि, यदि कोई हो।	....	....
7. सुधार हेतु प्रस्तावित बाट एवं माप के प्रकार।	....	....
8. क्षेत्र जिसमें आप संचालन करना चाहते हो।	....	....
9. क्षेत्र में पूर्व अनुभव।	....	....
10. नियोजित या नियोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित कुशल स्टाफ की संख्या।		
(क) कुशल		
(ख) अर्धकुशल		
(ग) अकुशल		
(घ) क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारी		
11. मशीनरी / औजारों / उपलब्ध उप–साधनों का विवरण।	....	....

अनुसूची–दो क

[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररुप एल डी–1

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप विक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररुप)

प्रति,

....

1	आवेदक द्वारा भरा जाए 2	निरीक्षण अधिकारी की टीप 3
1. स्थापन/दुकान/व्यक्ति का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गई है।	....	....
2. स्थापन इत्यादि का पूर्ण पता।	....	....
3. स्थापना का दिनांक।	....	....
4. स्वामी तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में, प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम तथा पता (पते)।	....	....
5. दुकान/स्थापन/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का वर्तमान पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. बेचे गए/तथा वर्तमान में बेचे जाने हेतु प्रस्तावित बाटों एवं मापों के प्रवर्ग।		
7. वैट/सीएसटी/विकय कर/व्यावसायिक कर/आयकर का पंजीयन क्र.।	....	....
8. क्या आप बाट इत्यादि को राज्य/देश के बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां तो आपूर्ति का स्त्रोत बताएं। (निर्माता का ट्रेडमार्क/मोनोग्राम तथा उसकी अनुज्ञप्ति क. का विवरण दें) तथा– (क) बाट तथा माप आयातक का पंजीयन क्र., यदि कोई हो (ख) केन्द्र सरकार द्वारा भारत में आयातित मॉडल का अनुमोदन उपलब्ध कराएं।		
9. क्या आपने राज्य में या अन्यत्र पूर्व में विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था ? यदि हां तो उसका विवरण ?	....	....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, शासन द्वारा अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क तत्काल जमा करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन का स.क्र.

निरीक्षण दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की अनुशंसा

स्थान :

दिनांक :

....

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अंतिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत :

अनुज्ञप्ति क्र. :

तक विधिमान्य :

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

अनुसूची– दो ख

[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररुप एल एम–2

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप निर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन हेतु प्ररुप)

प्रति,

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टीप
1	2	3
1. संबंधित निर्माता का नाम एवं पूर्ण पता जिसकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है।	....	....
2. विनिर्माता अनुज्ञप्ति क्र.।	....	....
3. स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशको) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
4. (क) बाट तथा माप का प्रकार जो प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार निर्मित किया गया है!		
(ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं।	....	....
5. आपके द्वारा निर्मित बाट तथा माप पर उपयोग किया जाने वाला मोनोग्राम या ट्रेडमार्क।	....	....
6. कार्यशाला में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।	....	....
7. विगत पांच वर्षों के उत्पादन तथा विक्रय का विवरण।	....	....
8 दुकान,/स्थापन का पंजीयन क. तथा दिनांक।	....	....
9. वैट/विक्रय कर/सी एस टी/व्यावसायिक कर/आयकर का पंजीयन क्र.।	....	....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/है।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रु................(रु. ....)........................उप कोषालय/बैंक में जमा कर दिया हूँ।/हैं तथा मूल चालान संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुसूची–दो ख

[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररुप एल आर–2

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप सुधारक के रूप में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन)

प्रति,

....

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टीप
1	2	3
1. संबंधित सुधारक व्यक्ति का नाम एवं पूर्ण पता जिसने अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा है।	....	....
2. सुधारक अनुज्ञप्ति क्र.।	....	....
3. स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
4. वर्तमान दुकान/स्थापन/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
5 वैट/ विक्रय कर/सी एस टी/व्यावसायिक कर/ आयकर का पंजीयन क्र.।	....	....
6. (क) प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार सुधार किये गये बाट तथा माप के प्रकार।	....	....
(ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते हैं।	....	....
7. क्षेत्र, जहां संचालन किया जाना है।	....	....
8. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाटो का पर्याप्त स्टाक है ?	....	....
9. मुद्रांकन के विवरण के साथ ब्यौरे दें।		....

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा (राज्य का नाम) में प्रवृत विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन ज़ारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रु...............(रु. ....)......................उप कोषालय/बैंक में जमा कर दिया हूँ/हैं तथा मूल चालान संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुसूची–दो ख

[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररुप एल डी–2

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप विक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन)

प्रति,

....

1	आवेदक द्वारा भरा जाए 2	निरीक्षण अधिकारी की टीप 3
1. स्थापन/दुकान/व्यक्ति का नाम जिसने अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा है।	....	....
2. विक्रेता अनुज्ञप्ति क्र.।	....	....
3. स्थापन का दिनांक।	....	....
4. स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित।	....	....
5. दुकान/स्थापन/वर्तमान नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति का पंजीयन क्र. तथा दिनांक।	....	....
6. वर्तमान में बेचे गए बाट एवं माप का प्रवर्ग।		
7. वैट/सी एस टी/विक्रय कर/ व्यावसायिक कर/ आई टी का पंजीयन क्र.।	....	....
8. क्या आप बाट तथा माप इत्यादि को राज्य/देश के बाहर से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां तो राज्य (राज्यों)/देश (देशों) से आपूर्ति का स्त्रोत बताएं (निर्माता का ट्रेडमार्क/मोनोग्राम तथा उसकी अनुज्ञप्ति क्र. का विवरण दें)।		

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा (राज्य का नाम) विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रु...............(रु. ....)......................उप–कोषालय/बैंक में जमा कर दिया हूं/हैं तथा मूल चालान संलग्न है।

उपर दी गयी समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

....

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुसूची–तीन

[नियम 11 (3) देखिए]

अनुज्ञप्ति प्ररुप

प्ररुप एल एम–3

...................शासन

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

बाटों, मापों, तौल, या माप के उपकरणों के विनिर्माता के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र. .... वर्ष ....

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतदद्वारा ....को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) निम्नलिखित (जिसमें बाट, माप, तौल के उपकरण या माप उपकरण सम्मिलित है जिसके पक्षकार द्वारा निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके .... पर स्थित कार्यशाला के संबंध में विधिमान्य है।
3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक वैध है।
4. निर्माता नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगी।
5. निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाला ट्रेडमार्क, मोनोग्राम एतदधीन है।

....

हस्ताक्षर

(मुहर) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

...................शासन

दिनॉक........................

स्थान ....

टीपः–फर्म के मामले में, व्यापार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इनके नाम पैरा 1. में दिए जाने चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्ते

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की जाती है–
   (क) तत्समय प्रवृत अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधेां का पालन करेगा ;
   (ख) समय–समय पर संशोधित अधिनियम या नियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा;
   (ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे यह संबंधित है, के कुछ सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा;
   (घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;
   (ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा;
   (च) यथास्थिति निर्मित तथा राज्य के भीतर उपयोग हेतु आशयित बाट, मापं, तौल या माप उपकरण को विकय के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी के सत्यापन तथा मुद्रांकन किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा;
   (छ) नियमों की अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीनीकरण प्रविष्टियां

चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

उस

अनुसूची–तीन

[नियम 11 (3) देखिये]

अनुज्ञप्ति प्ररुप

प्ररुप एल आर–3

....................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र............

वर्ष..............................

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतदद्वारा...
....
_____(पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) को निम्नलिखित (बाट, माप, तौल के उपकरण या माप उपकरण के प्रकार का विवरण सम्मिलित है जिसके पक्षकार द्वारा सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके..
.... पर स्थित कार्यशाला के संबंध में वैध है।
3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य है।
4. सुधारक नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगी।
5. पक्षकार को नीचे दर्शाए क्षेत्र में बाट, माप, तौल तथा माप उपकरणों के सुधार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

....

दिनाँक..................

स्थान ....

टीप–फर्म के मामले में, व्यापार में कोई हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इसका नाम पैरा (1) में दिया जाना चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्ते

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है–
(क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियम के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा ;
(ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा;
(ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के जिससे यह संबंधित है, सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा;
(घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;
(ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा;
(च) (एक) बाट, माप, तौल या माप उपकरण, जैसी स्थिति हो, को सम्यक सुधार के लिए उपभोक्ता को देने के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी के समक्ष सत्यापन तथा स्टांपित किए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा जैसा कि नियम 14 (1) में यथा विनिर्दिष्ट है।

(दो) बाट मापों, तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्त होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहां, इस प्रक्रिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी का सत्यापन स्टाम्प मिट जाता है, अलग हो जाता है या टूट जाता है, उसे उपभोक्ता को देने के पूर्व सम्यक रूप से मरम्मत करते हुए पुनः सत्यापन और मुद्रांकन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों के अधीन उसकी अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित होती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीनीकरण प्रविष्टियां

चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक............... ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

अनुसूची–तीन
[नियम 11 (3) देखिये]

अनुज्ञप्ति प्ररुप

प्ररुप एल डी–3

......................शासन
कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के विक्रेता के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्र. .... वर्ष...............................

1. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, एतदद्वारा...
(पक्षकार या पक्षकारों के नाम एवं पते) को निम्नलिखित (बाट एवं माप, तौल या माप उपकरण के प्रकार का विवरण दर्शित हो जिसके पक्षकार द्वारा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना है) के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
2. अनुज्ञप्ति उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके.. पर स्थित परिसर के संबंध में वैध है।
3. यह अनुज्ञप्ति .... से .... तक वैध है।
4. विक्रेता नीचे दी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त होने के लिए दायी होगी।

(मुहर) (हस्ताक्षर)
नियंत्रक, विधि माप–विज्ञान

दिनाँक.....................
स्थान ....

टीप–फर्म के मामले में व्यापार में कोई हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम सहित इसका नाम पैरा (1) में दिया जाना चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है–
   (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा नियमों के समस्त सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा ;
   (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित और अभिव्यक्त नहीं करेगा;
   (ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के जिससे यह संबंधित है, के कुछ सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा;
   (घ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;
   (ङ) व्यापार समाप्त करने तथा/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा;
   (च) नियम की अपेक्षानुसार अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
   (छ) किसी स्तरहीन बांट या माप के विक्रय के लिए विक्रय या प्रस्ताव, संप्रदर्शन या कब्जा नहीं रखेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त यदि राजपत्र में अधिसूचित होती है, तो उस व्यक्ति पर बंधनकारी होगी जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीकरण प्रविष्टियां

चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	चालू क्र.............................दिनांक........................ ....के लिए नवीकृत की गई सील नियंत्रक विधिक माप विज्ञान

अनुसूची—चार

[नियम 11 (4) तथा (5) देखिये]

............................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाट तथा माप के निर्माता, सुधारक या विक्रेता हेतु अनुज्ञप्ति तथा नवीकरण शुल्क

1. अनुज्ञप्ति जारी/अनुज्ञप्ति नवीकरण

(एक) विनिर्माता	रु. 500/
(दो) सुधारक	रु. 100/
(तीन) विक्रेता	रु. 100/

अनुसूची—पाँच

[नियम 11 (6) देखिये]

.........................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

बाट, माप, तौल / माप उपकरण के अनुज्ञप्त निर्माता / सुधारक / विक्रेता का रजिस्टर

कार्यालय.........................

अनुज्ञप्ति क्र.	जारी / नवीकरण का दिनांक	निर्माता / सुधारक / व्यापारी का नाम एवं पूर्ण पता	स्थान जहां कार्यशाला / कारखाना स्थित है	निर्मित / सुधार / विक्रय की जाने वाली वस्तुएं	उपयोग किए जाने वाला ट्रेडमार्क / मोनोग्राम	अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण से संबंधित आदेश	अपील का परिणाम	सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

टीपः— कॉलम (4) विक्रेता के लिए लागू नहीं होगा, कॉलम (6) सुधारक तथा विक्रेता के लिए लागू नहीं होगा।

अनुसूची–छः

[नियम 11 (8) देखिये]

.................शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

अनुज्ञप्ति प्राप्त सुधारक द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि

बाट तथा माप जिसमें तौल तथा माप उपकरण शामिल हैं, के सुधारक	रु. 200.00

अनुसूची–सात

(नियम 13 देखिये)

बाट तथा माप निर्माता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. निर्माता का नाम और पता ....
2. बाट या माप का विवरण ....
3. (एक) निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति का क्र. ....
   (दो) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने का दिनांक ....
   (तीन) अनुज्ञप्ति वैधता की अवधि ....
4. अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत करने संबंधित आदेश का विवरण, यदि कोई हो ....

स. क्र.	माह	विगत माह में शेष विक्रय स्टाक	माह में निर्मित मात्रा	कुल 3+4	राज्य के भीतर विक्रय	
					विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्र. एवं दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

राज्य के बाहर विक्रय		जावक वाउचर क्र. एवं दिनांक	कुल विक्रय (6+9)	अतिशेष (5–11)	टिप्पणी
राज्य का नाम	विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या				
8.	9.	10	11.	12.	13.

अनुसूची–सात
(नियम 13 देखिये)

प्ररुप एल आर –4

बाटों, मापों के संबंध में सुधारक द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

सुधारक का नाम तथा पता ....

अनुज्ञप्ति क्र. ....

अनुज्ञप्ति का दिनांक ....

स. क्र.	दिनांक	उपयोगकर्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ	सुधार हेतु बुक की गयी वस्तुएं तथा उनकी संख्या	उपयोगकर्ता को जारी रसीद क्र. तथा दिनांक
1	2	3	4	5

सुधार प्रभार की राशि	सत्यापन शुल्क की राशि	कुल प्रभारित राशि	उपयोगकर्ता को लौटाने का दिनांक	टिप्पणी
6	7	8	9	10

अनुसूची–सात

(नियम 13 देखिये)

एल डी – 4

बाट तथा माप में विक्रेता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. विक्रेता का नाम और पता ....
2. बाट या माप का विवरण ....
3. (एक) विक्रेता अनुज्ञप्ति क्र. ....
   (दो) अनुज्ञप्ति जारी किये जाने का दिनांक ....
   (तीन) अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि ....
4. अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरण करने संबंधित आदेश का विवरण, यदि कोई हो ....
5. बाट या माप का प्रवर्ग (वर्ग क या ख)

स. क्र.	माह	विगत माह में शेष स्टाक	माह में राज्य के भीतर क्रय	माह में राज्य के बाहर से क्रय	योग (3+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

राज्य के भीतर विकय		राज्य के बाहर विकय			कुल बिक्री (7+9)	अतिशेष (6–12)	टिप्पणी
विकीत वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्र. तथा दिनांक	विक्रीत वस्तुओं की संख्या	जावक वाउचर क्र. तथा दिनांक	राज्य का नाम			
7	8	9	10	11	12	13	14

अनुसूची–आठ

[नियम 16 (3) देखिए]

................शासन

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,

सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम.. क्र. ....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने आज नीचे दर्शाए बाट, माप इत्यादि को सत्यापित तथा स्टाम्पित/अस्वीकृत कर दिया है।

.....................................से ....स्थान

मात्रा	अभिधान		बाट उपकरण				माप उपकरण	सत्यापन शुल्क रु.	परिवहन, वहन समायोजन व्यय इत्यादि
	बाट	माप	क्षमता	श्रेणी	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कुल जमा रु.. चालान रसीद/मनी रसीद क्र. ....दिनांक......................................

...................द्वारा सुधार किया गया/उपयोग किया गया

.................................हस्ताक्षर

अगला सत्यापन का दिनांक.. विधिक माप विज्ञान अधिकारी

टीप–निरस्त बाट, माप इत्यादि के मामले में, विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक वस्तु के निरस्तीकरण के लिए निरस्तीकरण का कारण दर्शाते हुए पृथक से प्रमाण पत्र देगा।

अनुसूची—नौ

[नियम 14 (1) देखिए]

बाट तथा माप तथा बाट तथा माप उपकरण को सत्यापित व स्टाम्पित किए जाने हेतु देय शुल्क

1. **(क) बुलियन बाट :**

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	20.00
2 कि.ग्रा.	20.00
1 ग्रा.	20.00
500 ग्रा.	15.00
200 ग्रा.	15.00
100 ग्रा.	15.00
50 ग्रा.	15.00
20 ग्रा.	15.00
10 ग्रा.	15.00
5 ग्रा.	15.00
2 ग्रा.	15.00
1 ग्रा.	15.00

(ख) कैरेट बाट

100 ग्रा. (500 के.)	20.00
40 ग्रा. (200 के.)	20.00
20 ग्रा. (100 के.)	20.00
10 ग्रा. (50 के.)	20.00
4 ग्रा. (20 के.)	20.00
2 ग्रा. (10 के.)	20.00
1 ग्रा. (5 के.)	20.00
400 मि.ग्रा. (2 के.)	20.00
200 मि.ग्रा. (1 के.)	20.00
100 मि. ग्रा. (0.5 के.)	20.00
40 मि. ग्रा. (0.02 के.)	20.00
20 मि. ग्रा. (0.01 के.)	20.00
10 मि. ग्रा. (0.05 के.)	20.00
4 मि. ग्रा. (0.02 के.)	20.00
2 मि. ग्रा. (0.01 के.)	20.00
1 मि. ग्रा. (0.005 के.)	20.00

(ग) बेलनाकार बाट

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
10 कि.ग्रा.	20.00
5 कि.ग्रा.	20.00
2 कि.ग्रा.	15.00
1 कि.ग्रा.	10.00
500 ग्रा.	5.00
200 ग्रा.	5.00
100 ग्रा.	5.00
50 ग्रा.	5.00
20 ग्रा.	5.00
10 ग्रा.	5.00
5 ग्रा.	5.00
2 ग्रा.	5.00
1 ग्रा.	5.00

(घ) (बुलियन से भिन्न) शीट मेटल बाट

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
500 मि.ग्रा.	5.00
200 मि.ग्रा.	5.00
100 मि.ग्रा.	5.00
50 मि.ग्रा.	5.00
20 मि.ग्रा.	5.00
10 मि.ग्रा.	5.00
5 मि.ग्रा.	5.00
2 मि.ग्रा.	5.00
1 मि.ग्रा.	5.00

(ङ.) लौह षटकोणीय, बेलनाकार बाट तथा समानांतर नलीय बाट

अभियान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
50 कि.ग्रा.	25.00
20 कि ग्रा.	20.00
10 कि ग्रा.	20.00
5 कि ग्रा.	20.00
2 कि ग्रा.	15.00
1 कि ग्रा.	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00

20	ग्राम	5.00
10	ग्राम	5.00
5	ग्राम	5.00
2	ग्राम	5.00
1	ग्राम	5.00

(च) उच्च क्षमता तौल मशीन की जांच हेतु मानक बाट

अभिधान	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क 0.5 / 10000 रु. में	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क 3.3 / 10000, 1.7 / 10000 और 1.0 / 10000 रु. में
100 कि.ग्रा.	75.00	50.00
200 कि.ग्रा.	150.00	100.00
500 कि.ग्रा.	300.00	200.00
1000 कि.ग्रा.	750.00	500.00
2000 कि.ग्रा.	1500.00	1000.00
5000 कि.ग्रा.	3000.00	2000.00

2. क्षमता मापक :

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
100 ली. और अधिक	प्रथम 100 लि. के लिए 50 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली या उसके भाग के लिए 7 रु. अधिकतम 5000 रु. के अध्याधीन
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मिली	10.00
200 मिली	10.00
100 मिली	10.00
50 मिली	10.00
20 मिली	10.00
10 मिली	10.00
5 मिली	10.00
2 मिली	10.00
1 मिली	10.00

3. लंबाई मापक :

(क) अपरिवर्तनीय (अनम्य) –

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
2 मी.	10.00
1 मी.	10.00
0.5 मी.	20.00
1 मी. अंशित (प्रत्येक सेमी पर)	20.00
0.5 मी. अंशित (प्रत्येक सेमी पर)	20.00

(ख) फेब्रिक प्लास्टिक/बुना हुआ/स्टील टेप

यथार्थता वर्ग (1)	शुल्क प्रति मी. रु. में (2)
वर्ग –1	1.00
वर्ग –2	0.50
वर्ग –3	0.50

(ग) फोल्डिंग स्केल–

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
1 मी.	10.00
0.5 मी.	10.00

(घ) सर्वेक्षण चैन–

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
30 मी.	100.00
20 मी.	100.00

4. बीम स्केल श्रेणी क तथा ख :

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
200 कि.ग्रा.	400.00
100 कि.ग्रा.	300.00
50 कि.ग्रा.	150.00
20 किग्रा.	150.00
10 कि.ग्रा.	150.00
5 कि.ग्रा.	100.00
2 कि.ग्रा.	100.00
1 कि.ग्रा.	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

5. **बीम स्केल श्रेणी ग तथा घ :**

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु). (2)
1000 कि.ग्रा.	200.00
500 कि.ग्रा.	200.00
300 कि.ग्रा.	200.00
200 कि.ग्रा.	100.00
100 कि.ग्रा.	100.00
50 किग्रा.	20.00
20 कि.ग्रा.	20.00
10 कि.ग्रा.	20.00
5 किग्रा	15.00
2 किग्रा	15.00
1 किग्रा	15.00
500 ग्राम और उससे कम	. 10.00

6. **गैर–स्वचालित तौल उपकरण–यांत्रिकी (समान) वर्ग 3 तथा 4 :**

400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 किग्रा	300.00
1000 किग्रा	300.00
500 किग्रा	300.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	100.00
150 किग्रा	100.00
100 किग्रा	100.00
50 किग्रा	100.00

30 किग्रा	100.00
25 किग्रा	60.00
20 किग्रा	60.00
15 किग्रा	30.00
10 किग्रा	30.00
5 किग्रा	30.00
3 किग्रा	30.00
2 किग्रा	30.00
1 किग्रा	15.00
500 ग्राम तथा उससे कम	15.00

ग. गैर–स्वचालित तौल उपकरण– इलेक्ट्रानिक वर्ग 3 तथा 4 :

400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 किग्रा	250.00
1000 किग्रा	250.00
500 किग्रा	250.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	200.00
150 किग्रा	200.00
100 किग्रा	200.00
50 किग्रा	200.00
30 किग्रा	200.00
25 किग्रा	200.00
20 किग्रा	100.00
15 किग्रा	100.00
10 किग्रा	100.00

5 किग्रा	100.00
3 किग्रा	100.00
2 किग्रा	100.00
1 किग्रा	100.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00

8. **गैर–स्वचालित तौल उपकरण मशीनरी तथा इलेक्ट्रानिक दोनों वर्ग 1 तथा 2 :**

क्षमता	शुल्क (रु.)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

8. **स्वचालित तौल उपकरण :**

क्षमता	शुल्क (रु.)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

9. **आयतन मापक उपकरण :**

(क) डिस्पेंसिंग पम्प, प्रति पम्प : रु. 1000.00 प्रति इकाई

(ख) जोड (टोटलाईज़िंग) काउंटर : रु. 500.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरण :

क्षमता	शुल्क (रु.) में
100 ली. से अधिक	प्रथम 100 ली के लिए 500रु.+प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली या उसके भाग के लिए 250 रु.
100 ली. से अनधिक किन्तु 50 ली. से अधिक	500.00
50 ली. से अनधिक किन्तु 20 ली. से अधिक	250.00
20 ली. से अनधिक	200.00

10. **फ्लोमीटर :**

100 ली./मिनट तक फ्लो रेट	2000.00 रु.
100 ली./मिनट से अधिक 500 ली./मिनट तक	3000.00 रु.
500 ली./मिनट से अधिक	5000.00 रु.

11. **रेखीय मापक उपकरण :**

टैक्सी, आटोरिक्शा मीटर	100.00 रु.
अन्य मीटर	प्रथम 1000 मी. या उसके भाग के लिए 50.00 रु + प्रत्येक अतिरिक्त 100 मी. या उसके भाग के लिए 5.00 रु.

12. चिकित्सकीय तापमापी (थर्मामीटर) रु. 0.50 प्रति इकाई

13. जलमापी रु. 25.00 प्रति इकाई

14. पेग मापक :

30 मिली.	50.00
60 मिली.	50.00
100 मिली.	50.00

15. सी.एन.जी. डिस्पेंसर : रु. 1000.00 प्रति इकाई

16. एल.पी.जी. डिस्पेंसर : रु. 1000.00 प्रति इकाई

अनुसूची—दस
[नियम 26 (1) देखिये]

विधिक माप विज्ञान अधिकारी / नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप

1. अपीलार्थी का नाम एवं पता।
2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी / नियंत्रक विधिक माप विज्ञान का आदेश क्र. व दिनांक जिसके विरुद्ध अपील किया जाना है।
3. अपीलार्थी स्वयं सुनवाई चाहता है अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा।
4. अपील का आधार।

अनुसूची–ग्यारह

(नियम 27 देखिए)

विभिन्न अपराधों के लिए राजीनामा शुल्क

स. क्र.	धारा तथा अपराध की प्रकृति	दण्ड धारा	राजीनामा शुल्क
1.	धारा 8 (3) मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न बाट, माप या संख्या का उपयोग	25	रूपए 2500.00
2.	धारा 8 (4) बाट या माप का निर्माण जो मानकों के अनुरुप ना हो	27	रूपए 2000.00
3.	धारा 10 बाट, माप या संख्या द्वारा माल इत्यादि के संबंध में संव्यवहार या व्यापार या संविदा से विहित	28	रूपए 1000.00
4.	धारा 11 मूल्य सूची उत्कथन या घोषणा या जारी या प्रदर्शन बाट या माप या संख्या की मानक इकाई के अनुसार मूल्य में परिवर्तन	29	रूपए 1000.00
5.	धारा 12 किसी उपकरण या वस्तु का संविदा या करार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम सेवा में मांग करना या प्राप्त करना	30	रूपए 1000.00
6.	धारा 17 निर्माता, विक्रेता या सुधारक द्वारा अभिलेखों, रजिस्टरों का संधारण तथा मांगे जाने पर बाट, माप दस्तावेज, रजिस्टर को प्रस्तुत करना	31	रूपए 500.00
7.	धारा 18 (1) निर्माता/व्यापारी द्वारा पूर्व से पैक वस्तु के संबंध में घोषणा का पालन	36(1)	रूपए 2500.00
8.	धारा 18 (1) निर्माता द्वारा पूर्व से पैक वस्तु की मांग–शुद्ध मात्रा का पालन	36(2)	रूपए 10000.00
9.	धारा 23 बाट या माप का निर्माण केवल अनुज्ञप्ति के द्वारा	45	रूपए 5000.00
10.	धारा 23 बाट या माप का सुधार/विक्रय केवल अनुज्ञप्ति द्वारा	46	रूपए 2000.00
11.	धारा 24 संव्यवहार या संरक्षण में सत्यापित बाट, माप का उपयोग	33	रूपए 5000.00
12.	धारा 33 बाट या माप का विक्रय बिना सत्यापन के	33	रूपए 2000.00
13.	धारा 34 स्तरहीन बाटों और मापों के द्वारा वस्तुओं का विक्रय या पूर्ति	34	रूपए 2500.00
14.	धारा 35 स्तरहीन बाटों या मापों के द्वारा सेवा देना	35	रूपए 2500.00
15.	धारा 47 अनुज्ञप्ति में अनाधिकृत परिवर्तन करना	47	रूपए 5000.00
16.	धारा 53 (3) अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसीनियम के उपबन्ध	53 (3)	रूपए 500.00

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 10–122/खाद्य/2010/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप वासनीकर, उप–सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014— ज्येष्ठ 16, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29-1.— छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्र शासन से परामर्श पश्चात् विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक SO-10, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला-रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन

उक्त नियम में,-

(1) नियम 23 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(4) तौल उपकरण की यथार्थता का उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग या एक टन, इसमें से जो भी कम हो, बराबर सम्यक् रूप से सत्यापित तथा मुद्रांकित बांटों को प्रत्येक तौल उपकरणों के स्थान में रखेगा और उपभोक्ता भी ऐसे तौल उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकेंगे :

परन्तु नियंत्रक उस व्यापार परिसर में, जहां तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक है, सत्यापित और मुदांकित बांट रखे जाने के लिये उनकी कुल संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा."

(2) अनुसूची-ग्यारह में, अंतिम कॉलम के शीर्षक "राजीनामा शुल्क" के स्थान पर, शीर्षक "न्यूनतम राजीनामा शुल्क" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29-1/650.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 जून, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 6th June 2014

NOTIFICATION

No. F 10 -122/food/29-1. — The following draft amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, which the State Government propose to make, after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), is hereby published as required under sub-section (4) of Section 53 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of its publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said darft received from any person before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Goverment of Chhattisgarh, Room Number SO-10, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

AMENDMENT

In the Rules,-

(1) For sub-rule (4) of rule 23, the following shall be substituted, namely :-

"(4) To ensure a proper check of accuracy of a weighing instrument, the user shall keep at the site of each weighing instrument duly verified and stamped weight equal to one-tenth of the capacity of the instrument or One tone, wichever is less, and consumer can also check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the controller may specify the total number of verified and stamped weights to maintained in trade premises where the numbers of weighing instruments are more than one."

(2) In Schedule-XI, for heading "Compounding fine/amount" of the last column, the heading "Minimum compounding fees" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.